एकादश

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

भाग - 1

दिन बुधवार, तिथि 24 जुलाई, 1996 ई०

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :-

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :-

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :- 14, 73, 95 एवं 96

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :- 989, 1512, 1832, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709 एवं 2710

परिशिष्ट - (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :-

दैनिक निबंध

टिप्पणी : कोई भी माननीय मंत्री अथवा माननीय सदस्य अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

एकादश

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

बुधवार, तिथि 24 जुलाई, 1996 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा

का

कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में

बुधवार, तिथि 24 जुलाई, 1996 को पूर्वाह्न 11 बजे

अध्यक्ष, श्री देवनारायण यादव के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्पसूचित प्रश्नोत्तर

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

14. श्री जगबन्धु अधिकारी : क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलानेकी कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या यह बात सही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 1993-94 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में गरीबी कम करने वाली योजनाओं पर प्रति परिवार मात्र तीन हजार रूपये व्यय किया गया, जबकि इस पर छः हजार रूपये व्यय निर्धारित था?

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है?

(3) क्या यह बात सही है कि गरीबी उन्मूलन के लिये जारी समेकित विकास योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पिछले पाँच वर्षों में 3500 करोड़ सहायता राशि उपलब्ध करायी है, जिसका उपयोग नहीं किया गया है?

(4) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के दशम वित्त आयोग के भेजी गई रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय में 1991-92 में 8 प्रतिशत एवं 1992-93 में 9 प्रतिशत की गिरावट आयी है?

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त कार्यक्रमों में सरकार की विफलता के लिये क्या सरकार सम्पूर्ण कार्यक्रमों का मूल्यांकण कर उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

श्री रमई राम : यह प्रश्न मुझे कल संध्या तक अप्राप्त था लेकिन संध्या में मुझे यह प्राप्त हुआ इसलिए आज जवाब देना सम्भव नहीं है। हम इसका जवाब लिखित दे देंगे।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न चार-चार बार स्थगित हो चुका है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

श्री रमई राम : मुझे तो यह प्रश्न कल संध्या में ही मिला हैं। मेरे विभाग के कोई भी पदाधिकारी इसके लिए दोषी नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री इनका जबाव दो दिनों में तैयार नहीं हो सकता है?

श्री रमई राम : बहुत लम्बा प्रश्न है, फिल्ड से जबाब मांगना होगा इसलिए दो दिनों में इसका जवाब तैयार होना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष : जबाब तैयार हो जाये तो दो दिनों में दे दीजिए।

श्री रमई राम : हम प्रयास करेंगे लेकिन दो दिनों में सम्भव नहीं है।

श्री जगबंधु अधिकारी : अध्यक्ष महोदय, इसका जबाब बाहर से मंगाना नहीं है। इनके विभाग से जितना खर्च हुआ है उसी को देखकर जबाब दे देना है।

अध्यक्ष : आप देखिये इसका उत्तर तैयार हो जाये तो बहुत अच्छी बात है।

श्री रमई राम : कल शाम में यह प्रश्न प्राप्त हुआ। लेकिन जब तक फिल्ड से प्रतिवेदन नहीं आयेगा तब तक इसका जबाव सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष : ऐसा कीजिए कि आप इसको देख लें और दो रोज में उत्तर तैयार हो जाये तो 26 तारीख तक उत्तर दे दीजिए।

श्री रमई राम:-अगर उत्तर तैयार हो जायेगा तो हम दे देंगे।

श्री सिंह के विरूद्ध कार्रवाई

73. **श्री एन०ई० होरा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(1) क्या यह बात सही है कि धरणीधर सिंह, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, घाटशीला, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर ने मार्च, 1983 तक कुल 34,55,65,894/- रू० की लागत पर पन्द्रह उद्वह सिंचाई योजनाओं के नाम पर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया है, जिसके सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी, भागलपुर के आदेशनुसार बांका अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 224 नी, दिनांक 6 फरवरी, 1988 द्वारा प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजा जिसमें राशि के दुरूपयोग को सही पाया गया है?